रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 1980/फाल्गुन 16, 1901
No. 54] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 1980/PHALGUNA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 77 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) नियम, 1980 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 224 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उपनियम (1), (2) और (2-क) के उपबंधों को और नियम 173-छ के उपनियम (2) के खण्ड (4) के उपबंधों को और नियम 173-त त त के उपनियम (7) के उपबंधों को शिथिल कर सकती है।"

(सं. 11/80 के.उ.)

[अधिसूचना सं. 11/80-के. उ. फा. सं. 216/2/80-सी. एक्स-6]

जे. पी. कौशिक, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th March, 1980

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 77(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These rules may be called the Central Excise (3rd Amendment) Rules, 1980.

2. In rule 224 of the Central Excise Rules, 1944, after sub-rule (5) the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6) The Central Government may, if it is satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, relax, by general or special order, the provisions of sub-rules (1), (2) and (2A) and the provisions of clause (iv) of sub-rule (2) of rule 173-G and the provisions of sub-rule (7) of rule 173-PPP, subject to such conditions as it may specify in such order.".

(No. 11/80-CE)

[Notification No. 11/80 CE. F. No. 216/2/80-CX. 6]

J. P. KAUSHIK, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980